EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY DATED THE 10^{TH} JUNE, 2022

हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना

दिनांक 10 जून, 2022

संख्या 30/3110—1/पं0310 1/1914/धा0 58/2022.— हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1), की धारा 16, 17 तथा 18 तथा धारा 58 की उप—धारा (1) तथा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब मदिरा आयात, निर्यात, वहन तथा कब्जा आदेश, 1932, को, हरियाणा राज्यार्थ, आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. (1) ये आदेश पंजाब मदिरा आयात, निर्यात, वहन तथा कब्जा (हरियाणा संशोधन) आदेश, 2022 कहे जा सकते हैं।
 - (2) ये आदेश जून, 2022, के बाहरवें दिन से लागू होंगे।
- 2. पंजाब मदिरा आयात, निर्यात, वहन तथा कब्जा आदेश, 1932 में, आदेश 1 में, उप—खण्ड (ख) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः—
 - "(1) विदेशी मदिरा तथा बीयर (चाहे आयातीत अथवा भारत में बनी हो), जब खण्ड (क) के अन्तर्गत आयात की जाये, विदेशी मदिरा की 12 बोतलें, प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता, 12 बोतलें बीयर की (चाहे आयातीत अथवा भारत में बनी हो) प्रत्येक 650 मिली लीटर की क्षमता, 12 बोतलें आयातीत विदेशी शराब की (आई०एफ०एल०) प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता, 12 बोतलें भारत में निर्मित विदेशी शराब की (आई०एफ०एल०) प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता, 6 बोतल रम की (चाहे आयातीत अथवा भारत में बनी हो) प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता, वाईन की 12 बोतलें (चाहे आयातीत अथवा भारत में बनी हो) प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता, 6 बोतलें वोदका / जिन / साईडर (चाहे आयातीत अथवा भारत में बनी हो), प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता तथा 6 बोतलें देसी मदिरा प्रत्येक 750 मिली लीटर की क्षमता, विभिन्न आकार की कुल मात्रा 6 x 750 मिली लीटर = 4500 मिली लीटर से अधिक की मात्रा से अधिक नहीं होगी।"।

अनुराग रस्तोगी, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

EXTRACT FROM HARYANA GOVERNMENT GAZETTE EXTRAORDINARY DATED THE 10TH JUNE, 2022

HARYANA GOVERNMENT EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT Notification

The 10th June, 2022

No.30/X-1/P.A.1/1914/S.58/2022.- In exercise of the powers conferred under sections 16, 17 and 18 and sub-sections (1) and (2) of section 58 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914), the Governor of Haryana hereby makes the following orders further to amend the Punjab Liquor Import, Export, Transport and Possession Order, 1932, in their application to the State of Haryana, namely:-

- 1. (1) These orders may be called the Punjab Liquor Import, Export, Transport and Possession (Haryana Amendment) Orders, 2022.
 - (2) They shall come into force with effect from the 12th day of June, 2022.
- 2. In the Punjab Liquor Import, Export, Transport and Possession Orders, 1932, in order 1, in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
 - "(1) Foreign Liquor and Beer (whether imported or made in India) when imported under clause (a) shall not exceed in quantities of 12 bottles of foreign liquor each capacity of 750 milliliters, 12 bottles of beer (whether imported or made in India), each capacity of 650 milliliters, 12 bottles of Imported Foreign Liquor (IFL) each capacity of 750 milliliters, 12 bottles of Indian Made Foreign Spirit (IMFS) each capacity of 750 milliliters, 12 bottles of Rum (whether imported or made in India), each capacity of 750 milliliters, 12 bottles of wine (whether imported or made in India), each capacity of 750 milliliters, 12 bottles of Vodka/Gin/Cider (whether imported or made in India), each capacity of 750 milliliters and 6 bottles of Country Liquor each capacity of 750 milliliters of different sizes total quantity not exceeding 6X750ml=4500 ml.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.